

आयुक्त सुंदरानी के निर्देश पर अवैध होर्डिंग एवं कार गैरेज पर चला निगम का बुलडोजर

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी के निर्देश पर नोडल अधिकारी ए0के0 द्विवेदी के द्वारा तोड़फोड़ दस्ता के माध्यम से निगम क्षेत्र अंतर्गत लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने का कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 05 होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया इससे पहले 15 और अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

बता दें कि निगम के राजस्व विभाग द्वारा नंबर का स्टीकर जारी किया गया है जोकि वैध होर्डिंग पर लगाए गए हैं एवं जो होर्डिंग अवैध है उन पर स्टीकर नहीं लगा हुआ है ऐसे होर्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है!

जोन क्रमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत हुडको उद्यान के समीप अवैध कार गैरेज का निर्माण किया गया था जिसे ध्वस्त कर दिया गया तथा शहीद कौशल पेट्रोल पंप के पास में स्थित 03 नग अवैध होर्डिंग को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया साथ ही प्रियदर्शनी परिसर पूर्व फव्वारे के पास एवं गुरुद्वारा के समीप में 02 अवैध होर्डिंग को जे.सी.बी. के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। आयुक्त सुंदरानी ने अपील की है कि जहां-जहां भी अवैध होर्डिंग लगे हैं उन स्थलों से होर्डिंग लगाने वाले लोग स्वयमेव अपने होर्डिंग हटा ले अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी! अवैध होर्डिंग्स की कार्यवाही में तोड़फोड़ दस्ता के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, विनोद चंद्राकर सहित तोड़फोड़ दस्ते के टीम ने उपस्थित रहकर कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी

"जल है तो कल है" "जल ही जीवन है"

